तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से राजस्व (ग्रुप–7) विभाग, जयपुर की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रियायें (S.O.P.) दिनांक 08.02.2024 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में 10 वर्ष और अधिक पुराने प्रकरणों के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्रों पर बहस पूर्ण किये जाने हेतु उभयपक्ष अभिभाषकगणों को निर्देशित किया गया। बावजूद इसके बहस पूर्ण नहीं किये जाने पर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA में निवेदन किया गया कि ग्राम रानपुर के खसरा नम्बर 897 रकबा 0.33 हैक्टर के उत्तर दिशा के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी तथा दक्षिण दिशा के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी काबिज काश्त है। अप्रार्थी क्रम–1, प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर प्रार्थी को उसके 1/2 हिस्से से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी क्रम–1के विरूद्ध ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेपधाज्ञा जारी की जावे कि वह प्रार्थी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और विवादित आराजी के उत्तरी दिशा के 1/2 हिस्से पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा नहीं करें। अप्रार्थी की ओर से पेश जवाब में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी ने वर्ष 2012 में ही प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी के पेटे 2,00,000/– रूपये दे दिये थे। बोरिंग व पत्थर कोटा भी प्रतिपक्षी ने ही कराया है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तथा वह 20 वर्षो से कोटा शहर में ही निवास कर रहे है। कब्जे के अभाव में दावे में बंटवारे की सहायता के बिना दावा/प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे। हमने धारा 212 RTA के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :– (क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ? (ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ? (ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ? **उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष में होना आवश्यक है।** प्रार्थीगण की ओर से मूल दावे के साथ पेश यह प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2013 को दर्ज होकर आदिनांक तक विचाराधीन है। इसे न्यायालय में विचाराधीन रहते 11 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है प्रार्थीगण के लिये यह केवल दावे का सहायक है जिस पर बहस कर निस्तारण करवाना वह उचित भी नहीं समझते है। इस प्रकार यह प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। प्रकरण की विवादित आराजी पक्षकारान के शामलाती खाते में दर्ज है। शामलाती खाते की आराजी में सभी सहखातेदारान का ही कब्जा निहित माना जाता है। प्रार्थी को दी जाने वाली किसी भी सुविधा से अप्रार्थी को असुविधा होने की पूर्ण संभावना है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थना पत्र दर्ज किये जाने के लेकर आज तक विवादित आराजी यथावत विद्यमान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है अर्थात विवादित आराजी को खुर्द बुर्द किये जाने की कोई संभावना नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मूल वाद में तनकीयात कायम किये जाने है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी के विवाद का निस्तारण मूल वाद में कायम तनकीयात पर साक्ष्य ली जाकर तय किये जायेगें। वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न तो प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला है और ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रकरण में प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति होना भी संभावित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	